(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशं./भू.रा./2018/0118 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 203/अपील/2015-16.

---

1. भोपाल सिंह आ. काशीराम रघुवंशी
2. गयाशंकर आ. काशीराम रघुवंशी

दोनों निवासी रहटवाड़ा, तह. बनखेड़ी,
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. फुल्लू आ. काशीराम रघुवंशी
   निवासी रहटवाड़ा, तह. बनखेड़ी
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
2. श्रीमती भूरियाबाई पुत्री काशीराम
   निवासी ग्राम सीरावाड़ा, तह. बनखेड़ी,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री एन.के. तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री जी.सी. पाण्डे एवं डी.के. खरे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम दहलवाड़ा दहलवाड़ा कलां स्थित भूमि खसरा नं. 321 रकबा 6.49 एकड़ भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के नाना हल्कू आ. बट्टू के नाम दर्ज होकर भूमिस्वामी थे। भूमिस्वामी हल्कू के एकमात्र संतान आवेदकगण एवं अनावेदकगण की मां काशीबाई थी। भूमिस्वामी हल्कू की मृत्यु होने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर संशोधन क्रमांक 32 द्वारा विरासतन हक में हल्कीबाई का नाम दर्ज किया। इस संशोधन को निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर संशोधन क्र. 34 के तहत अनावेदक क्र. 1 फुल्लू आ. काशीराम का नाम दर्ज किया गया। उक्त संशोधन की जानकारी आवेदकगण को उनकी मां काशीबाई की मृत्यु के उपरांत नामांतरण की कार्यवाही किये जाने के समय प्राप्त हुई कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्र. 1 द्वारा पूर्व में ही संशोधन दर्ज करवा लिया गया है। तत्पश्चात् आवेदकगण द्वारा उक्त संशोधन के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 42/अ-6/11-12 दर्ज कर दिनांक 09.03.2016 को आदेश पारित करते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.11.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए द्वितीय अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) ग्राम दहलवाड़ाकलां तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद की संशोधन पंजी 32 दिनांक 01.02.1988 हल्कू फौत होने से पत्नी हल्की बाई का नाम दर्ज।

(2) संशोधन पंजी 34 दिनांक 11.01.1988 हल्कू फौत होने से प्रमाणित दिनांक 06.02.1988 उक्त दोनों पंजियों के बाद हल्कू की मृत्यु दिनांक 14.04.1988 लेहाजा उक्त दोनों संशोधन पंजी कपट एवं षड्यंत्रपूर्वक बनाई गई है।

(3) अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत दिनांक 21.02.1977 में लेख है कि तुम मेरी बड़ी लड़की काशीबाई के लड़के हो, उसके मरने के बाद से ही मेरे पास रहकर मेरी सेवा संभाल कर रहे हैं, जबकि काशीबाई की मृत्यु दिनांक 10.02.2012 में हुई है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख पर है।

(4) तथाकथित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 21.02.1977 में तथाकथित खसरा नंबर 321 रकबा 6.49 में से 3.24 एकड़ का उल्लेख है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश खसरा नंबर 321 रकबा 6.49 अनावेदक क्र. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही उक्त तथाकथित दस्तावेज तथा विधि के विरूद्ध है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित आदेश बिना सूक्ष्म अवलोकन तथ्य एवं विधि के विपरीत आदेश पारित किये हैं, जिसकी वजह से आवेदकगण उसकी मां से उत्तराधिकार से प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम दर्ज कराने में 30 वर्षों से पीढ़ित है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) पूर्व भूमिस्वामी हल्कू आ. बद्दू अपने हक अधिकार एवं स्वामित्व व कब्जे दखल की भूमि मौजा रहटवाड़ा तहसील बनखेड़, जिला होशंगाबाद में स्थित भूमि कुल रकबा 5.24 एकड़ भूमि को अपने नाती फूलसिंह आ. काशीराम के पक्ष में एक वसीयतनामा विधिवत प्रथम एवं अंतिम दिनांक 29.02.1977 को स्वेच्छा से उप पंजीयक कार्यालय सुहागपुर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयतनामा का निष्पादित किया गया था। वसीयतनामे के निष्पादन के उपरांत अनावेदक क्र. 1 द्वारा वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के उपरांत वसीयतनामा अनुसार अपने पक्ष में विधिवत नामांतरण करवाया गया था। वसीयत एवं नामांतरण की जानकारी आवेदकगण को पूर्व से ही है एवं विवादित भूमि पर अनावेदक क्र. 1 का कब्जा आवेदकगण की जानकारी में शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। अनावेदक क्र. 1 उक्त भूमियों पर वसीयतकर्ता की मृत्यु के पूर्व एवं बाद से ही आवेदकगण की जानकारी में काबिज, काश्त करता चला आ रहा है। नामांतरण विधिवत है जो कि संशोधन क्र. 34 आदेश दिनांक 06.02.1988 वैध है। उक्त नामांतरण की जानकारी भी आवेदकगण को पूर्व से ही है।

(2) वसीयतनामा विधिवत रजिस्टर्ड है। भूमिस्वामी के द्वारा अपने हक एवं अधिकारी की भूमि का ही विधिवत उप पंजीयक, सुहागपुर के समक्ष अनावेदक क्र. 1 के पक्ष में निष्पादन स्वेच्छा से किया गया है। अनावेदक क्र. 2 भूरियाबाई भी अनावेदकगण के पक्ष में अनावेदक क्र. 1 के पक्ष में किये गये वसीयतनामा एवं नामांतरण पर किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं रही है।

(3) आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्र. 1 को परेशान करने के आशय से उक्त भूमियों के संबंध में मिथ्या मनगढंत आधारों पर प्रथम अपील 35 वर्ष के अंतराल के बाद प्रस्तुत की गई थी, जो कि समय बाधित होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा खारिज की गई। उसके बाद अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की अपील को समयबाधित मानते हुए एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थगित रखा गया है एवं अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश विधिसंगत और गंभीरता से किया गया आदेश है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी 32 तथा पंजी 34 पर प्रस्ताव प्राप्त हुए। राजस्व निरीक्षक ने पंजी 34 पर अनुमोदित किया, इसलिए पंजी 32 के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। पंजी 34 पर काटपीट/पहले का मिटाकर ऑवर-राइट स्पष्ट दिखलाई देती है। ऐसी संदिग्ध प्रविष्टि को स्थिर रखने में दोनों न्यायालयों ने त्रुटि की है। अत: सभी पक्षों को सुनकर पुन: आदेश करने के लिए प्रकरण तहसील न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुन: आदेश करने हेतु तहसील न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर